24/3/26 पत्रावली पेश हुई। बहस आवेदन 07R14 CPC सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी प्रार्थी द्वारा इकरारनामा प्रस्तुत किया गया जो अनरजिस्टर्ड है। पर्याप्त स्टाम्पों पर नहीं है और प्रकरण में साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होने से आवेदन प्रार्थी 07R14 सीपीसी खारिज किया जाता है। फलतः वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम के क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

**उनवान**

मुन्नीबाई उम्र 72 साल पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी करौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर

—वादीया

## बनाम

1. श्रीमति गुड्डी मीना उम्र 35 साल पत्नि तेजप्रताप मीना
2. तेजप्रताप मीना पुत्र नामालूम
3. श्रीमति राधा उम्र 34 साल पत्नी मुनेश
4. रामदयाल उम्र 72 साल पुत्र बुद्वराम
   सभी जाति मीना निवासी भिण्डपुरा कोंडर तहसील व जिला करौली
5. मुंशी उम्र 60 साल पुत्र सांवलिया जाति माली निवासी मासलपुर रोड करौली तहसील व जिला करौली
6. सीताबाई पत्नि राजेश कुमार जाति मीना निवासी श्योनारायण का पुरा कटकड़ तहसील हिण्डौन सिटी

—प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 53/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू
ो **अबरार अहमद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार
; अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
..................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह
ाज ..................................... मुबलिग ..................................... बाबत
..................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..................................... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

हर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

| ई | रूपया | पैसे | मुददायलह | रूपया | पैसे |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना अर्जी | | |
| हन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| ार्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| ीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| ाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| तफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

ट:—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

## पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–53/23 तारीख रजु:–28.12.23

**उनवान**

मुन्नीबाई उम्र 72 साल पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी बरौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर

–वादीया

**बनाम**

1. श्रीमति गुड्डी मीना उम्र 35 साल पत्नि तेजप्रताप मीना
2. तेजप्रताप मीना पुत्र नामालूम
3. श्रीमति राधा उम्र 34 साल पत्नी मुनेश
4. रामदयाल उम्र 72 साल पुत्र बुद्वराम
   सभी जाति मीना निवासी भिण्डपुरा कोंडर तहसील व जिला करौली
5. मुंशी उम्र 60 साल पुत्र सांवलिया जाति माली निवासी मासलपुर रोड करौली तहसील व जिला करौली
6. सीताबाई पत्नि राजेश कुमार जाति मीना निवासी श्योनारायण का पुरा कटकड़ तहसील हिण्डौन सिटी

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर टी एक्ट

**–::निर्णय::–** दिनांक :– 25/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादिया की पुत्रवधू मिथलेश शर्मा पत्नी महेन्द्र कुमार शर्मा व वादीया एक ही परिवार के सदस्य है और शामिल रहते हैं। हमारे परिवार द्वारा दिनांक 21/04/2011 को मेरी पुत्रवधू मिथलेश के नाम से खसरा नं0 817 व खसरा नं0 818 में मुताबिक नक्शा प्रतिवादी नं0 5 मुन्शी से भूखण्ड संख्या 37 व 37 जिनका कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है, एक लाख ग्यारह हजार रूपये में खरीदा और कब्जा प्राप्त किया एवं विक्रयशुदा भूखण्डों बाबत् समस्त अधिकार प्राप्त किये एवं कब्जा प्राप्त करने के बाद वादीया के परिवार द्वारा उपरोक्त दोनों भूखण्डों 37 व 38 की चारों तरफ से बाउण्ड्री करायी गयी, जिनसें लाखों रूप्यों की लागत लगायी। इसके बाद दिनांक 01/09/2023 को मुझ वादीया के नाम रजिस्ट्री करवादी गई और रजिस्ट्री कराते समय प्रतिवादी नं0 5 को कुछ पैसे देकर कुल प्रतिफल राशि एक लाख नब्बे हजार रूप्ये प्रतिवादी नं0 5

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

को कुद पैसे देकर कुल प्रतिफल राशि एक लाख नब्बे हजार पये प्रतिवादी नं0 5 को अदा कर वादिया के नाम विक्रय–पत्र रजिस्टर्ड करा दिया गया। इस प्रकार वादिया भूखण्ड संख्या 37 व 38 जिनका क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है, जो खसरा नं0 817 व 818 स्थित कस्बा करौली की मुताबिक नक्शा संलग्न विक्रय–पत्र मालिक काबिज है और एकमात्र स्वामी है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त भूखण्ड संख्या 37 व 38 में कोई हक किसी प्रकार के नही है एवं इन भूखण्डों से प्रतिवादीगण का संबंध किसी प्रकार से नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ताकतवर व बदमाश व बेईमान किस्म के व्यक्ति है और इनकी नियम वादिया के उपरोक्त भूखण्डों को हडपने की है, जिनका इन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है एवं यह लोग वादिया के उक्त भूखण्डों को वादिया से छीनने में सफल हो गये तो वादिया को भारी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरिये नकद से संभव नही है एवं वादिया इनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादिया के उपरोक्त भूखझउ संख्या 37 व 38 स्थित स्टेडियम के पीछे, विवेक विहार कॉलोनी, करौली दर्ज दावा में अपने गांव से 20–25 लठैत बुलाकर वादिया को जाने से मारने का भय दिखाकर जबरदस्ती से दिनांक 20/09/2023 को निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया और वादिया के कब्जे व उपयोग में मदाखलत करना शुरू कर दिया, जो अब भी चालू है। जिसके बाबत् वादिया ने कोतवाली, करौली में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की किन्तू थाना कोतवाली, करौली द्वारा भ्रष्टाचार के चलते वादिया की रिपोर्ट पर अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई है, ना ही FIR दर्ज की गई है। इस प्रकार पुलिस ने प्रतिवादीगण से पैसा लेकर उल्टा वादिया व वादिया के परिवार के लोगों के विरूद्ध धारा 3 SC/ST ACT एवं 323, 341, 354 IPC आदि धाराओ में झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया और वादिया व वादिया के परिवार को भयभीत व परेशान किया जा रहा है और वादिया के स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 37 व 38 दर्ज दावा में लट्ठ व ताकत से जबरदस्ती से बिना किसी अधिकार के प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और वादिया जरिये ओदशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा अब तक किये गये निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाने की

अभिभाषक अधिकारी
करौली (राज0)

अधिकारी है एवं दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा दो कमरो का निर्माण बावजूद स्टे कर लिया है, जिसे वादिया ओदशात्मक व्यादेश से प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण श्रीमति गुड्डी मीना व श्रीमति राधा द्वारा सहखातेदारी सीताबाई से मिलकर जमीन के प्लॉटो को फर्जकारी कर प्लॉटों का नक्शा बदलकर गलत तरीके से खरीद कर मेरे प्लॉट पर निर्माण कर लिया है तथा मेरे हकूकों से इनकार कर दिया है। प्रतिवादी गुड्डी व राधा के हक में किये गये बयनामा मुझ वादिया के हकूकों पर बेअसर है। बयनामा बहक प्रतिवादीगण वादिया के हकूकों पर बेअसर नल एण्ड बोइड घोषित कराने व वादिया को खरीदशुदा प्लॉटों का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की वादिया अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के स्वामित्व के भूखण्डों पर जबरदस्ती बिना किसी अधिकारी के निर्माण कार्य चालू करने पर दावा करना लाजिमी हुआ और वादीया प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रापत करने की अधिकारी है व जरिये ओदशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा किये गये निर्माण को हटवाने की अधिकारी है। वादकारण का उदय दिनांक 20/09/2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के भूखण्डों में जबरदस्ती से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर कस्बा करौली में वाद कारण को उदय हुआ। वादग्रस्त भूमि कस्बा करौली के अन्दर स्थित है एवं यह काश्तकारी प्रयोजन की भूमि है व वाद कारण का उदय भी कस्बा करौली में हुआ है। जिसके बाबत् श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थीया द्वारा एक दाव उनवानी प्रकरण मुन्नी बाई बनाम गुड्डी वगै0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, करौली मु0 नं0 67/23 में पेश किया, जिसमें दिनांक 29/11/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा O 7 R 11 C.P.C. का आदेश पारित करते हुए उपरोक्त भूमि कृषि भूमि होने के कारण दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के यहॉ होना माना है। वाद कारण दिनांक 20/09/2023 से दावा अन्दर म्याद पेश है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वाद विवाद्यक वादीया साक्ष्य ली गई। वादीया ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादीया मुन्नी बाई पीडब्ल्यू-1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श-1 व नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रदर्श–2 एवं इकरारनामा प्रदर्श–3 एवं कमिशनर रिपोर्ट प्रदर्श–4, नक्शा प्रदर्श–5 को पेश कर प्रदर्शित कराया है।

प्रकरण में विवाधक संख्या 3 क्षेत्राधिकार का है। जिसका सर्वप्रथम निर्णय किया जाना उचित है। वादग्रस्त संपत्ति में भूखण्ड विक्रय होकर रजिस्टर्ड बयनामा पंजीकृत हो चुके है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। जिसमें आवासीय भूखण्डों का नक्शा बयनामाओं के साथ संलग्न किया गया है। जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने बयनामा दिनांक 28.11.2022 सीताबाई वहक श्रीमती राधा, सीताबाई वहक गुड्डी प्रस्तुत किये गये है एवं बयनामा दिनांक 01.09.2023 मुंशी वहक मुन्नी बाई एवं इकरारनामा मुंशी वहक मिथलेश शर्मा पत्रावली में प्रस्तुत हुए है। इस प्रकार भूमि में भूखण्ड विक्रय होकर निर्माण हो चुके है। इसलिए वादिया का वाद धारा 183, 188 आर टी एक्ट क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।